महान संतो के जन्मदिवस/पुण्यतिथि समारोह हेतु
डॉ. अम्बेडकर योजना
(संशोधित योजना–2022)

1. **प्रस्तावनाः**

बाबासाहब डॉ. बी. आर. अम्बेडकर बीसवीं सदी के एक महान राष्ट्रीय नेता थे। वे एक महान बुद्धिजीवी, विद्वान, राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में महती योगदान दिया। पददलित जनसमूहों के उद्धार के लिए और पिछड़े वर्गों के लाखों करोड़ों लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने तमाम आन्दोलनों का नेतृत्व किया। भारत के संविधान के निर्माण में अपने महान योगदान से उन्होंने भारतीय समाज पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। सामाजिक न्याय पाने के लिए संघर्ष के प्रतीक के रूप में याद किए जाते हैं।

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान (डीएएफ) की स्थापना तत्कालीन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के शताब्दी समारोह समिति की अनुसंशाओं की अनुपालना में की गई थी। प्रतिष्ठान, तत्समय कल्याण मंत्रालय, अब सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के संरक्षण में सोसाइटियों के पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन 24 मार्च, 1992 को पंजीकृत हुआ।

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान के उद्देश्यों में बाबासाहब की स्मृति का प्रचार करने वाली संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना, अस्पृश्यता उन्मूलन और जाति आधारित पूर्वाग्रहों को मिटाने के जिए सामाजिक अभियानों का आयोजन करने जिससे समाज के दृष्टिकोण में सांप्रदायिक सद्भाव और भाईचारे से बदलाव लाया जा सके और विभिन्न सामाजिक–आर्थिक मुद्दों पर व्याख्यान, सेमिनार और गोष्ठियां आदि आयोजित करना शामिल है।

2. **योजनाः**

महान संतो के जन्मदिवस/पूण्यतिथि समारोह हेतु डॉ. अम्बेडकर योजना की शुरूआत महान संतों, जैसे कि संत कबीर, गुरू रविदास, गुरू घासीदास, चोखामेला, नंदनार, नरायन गुरू, नामदेव, भगवान बुद्ध, महर्षि वाल्मीकि, महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्री बाई फूले, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर, अय्यांकली और अन्य संतों जिनका नाम समय समय पर प्रतिष्ठान द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और जिन्होंने सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने, असमानता और भेदभाव का उन्मूलन करने तथा समाज के कमजोर तबके की बेहतरी के लिए अथक कार्य किया है, के जन्मदिवस या पूण्यतिथि को धूमधाम से मनाने के लिए सहायता अनुदान प्रदान करना है। योजना के अन्तर्गत महान संतो के जन्म दिवस या पूण्यतिथि समारोहों के लिए सहायता अनुदान एनजीओ और विद्यालयों/विश्वविद्यालयों/संस्थाओं इत्यादि को प्रदान किया जाता है।

3. **योग्यताः**

योजना के अन्तर्गत सहायता अनुदान हेतु आवेदन करने के लिए निम्नलिखित योग्य हैं:

(क) नीति आयोग के एनजीओ पोर्टल पर पंजीकृत एनजीओ जो पिछले दो वर्षों से अस्तित्व में हों और जिनका प्रस्ताव संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के किसी जिले के जिलाधिकारी/जिला समाहर्ता द्वारा या उनके द्वारा अधिकृत सक्षमाधिकारी द्वारा अनुसंशित हो। जब अनुसंशा पत्र

जिलाधिकारी या जिला समाहर्ता के अतिरिक्त किसी अन्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो तो हस्ताक्षर करने वाला प्राधिकारी उस पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख करेगा कि प्रस्ताव संबंधित जिलाधिकारी/जिला समाहर्ता द्वारा अनुमोदित है।

(ख) सरकारी विद्यालय/विश्वविद्यालय/राज्य या केन्द्र सरकार के संस्थान या कोई अन्य संस्थान जिन्हें यूजीसी/राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की गई हो। मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों/संस्थाओं इत्यादि के मामले में आवश्यक कागजात जैसे कि यूजीसी/सरकार द्वारा मान्यता प्रदान करने वाले कागज़ात आवेदन के साथ साक्ष्य रूप में लगाया जाना आवश्यक होगा। सरकारी विद्यालय/विश्वविद्यालय/संस्थान इत्यादि आवश्यक कागजात के साथ सीधे प्रतिष्ठान को आवेदन कर सकते हैं और उनके मामलों में जिलाधिकारी/जिला समाहर्ता के अनुशंसा की जरूरत नहीं होगी।

4. <u>सहायता अनुदान की राशि</u>

योजना के अन्तर्गत प्रत्येक मामले में प्रदान की जाने वाली सहायता अनुदान राशि की उच्चतम सीमा निम्नलिखित हैः

(क) मान्यता प्राप्त विद्यालय/विश्वविद्यालय/संस्थान	–	रुपए 5.00 लाख
(ख) पंजीकृत एनजीओ	–	रुपए 2.00 लाख

मान्यता प्राप्त विद्यालयों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों के मामले में विश्वविद्यालयों के कुलपति/कुलसचिव द्वारा या विद्यालयों/संस्थानों के प्रधानाचार्य द्वारा ऐसे प्रस्ताव सीधे डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान भेजे जा सकते हैं।

पैरा 2 में उल्लिखित किसी भी संत के जन्मदिवस या पूण्यतिथि समारोह हेतु कोई संस्थान/संगठन सहायता अनुदान हेतु एक वर्ष में अधिकतम छः बार आवेदन कर सकता है।

- रुपये 1.00 लाख तक की सहायता अनुदान राशि, प्रतिष्ठान के सदस्य सचिव, प्रतिष्ठान के निदेशक, उपसचिव (आईएफडी) और निदेशक (एससीडी) के सम्मिलन से गठित समिति की अनुसंशा पर स्वीकृत किया जा सकता है।
- ऐसे प्रस्ताव जिनमें सहायता अनुदान राशि रुपये 1.00 लाख से ज्यादा और 2.00 लाख तक हो, पर विचार एक सहायता अनुदार समिति द्वारा किया जाएगा जिनमें निम्न सदस्य होंगे

  (1) अधिशासी निकाय के दो सदस्य जिनमें से एक समिति के अध्यक्ष की तरह कार्य करेगा
  (2) निदेशक, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान
  (3) उपसचिव (आईएफडी)/निदेशक (आईएफडी)

आपवादिक मामलों में सहायता अनुदान समिति की अनुसंशा पर उच्चतर अनुदान राशि हेतु प्रतिष्ठान के अध्यक्ष द्वारा विचार किया जा सकता है। **एनजीओ द्वारा जमा किए गए सभी प्रस्तावों को, जहां ऐसे कार्यक्रम या समारोह का आयोजन प्रस्तावित है, उस संबंधित जिले के जिलाधिकारी/जिला समाहर्ता द्वारा अनुसंशित होने चाहिए।** यदि अनुसंशा पत्र जिलाधिकारी/जिला समाहर्ता के अतिरिक्त किसी अन्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो तो हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख करेगा कि प्रस्ताव संबंधित जिलाधिकारी/जिलासमाहर्ता द्वारा अनुमोदित है।

5. <u>आवेदन की प्रक्रियाः</u>

आवेदक, संलग्नक–2 में दिए गए निर्धारित आवेदन पत्र पर एक विस्तृत प्रस्ताव जमा करेगा, जिसमें निम्न बातें शामिल होंगीः

(क) **उस महान संत पर एक उत्कृष्ट लेख/संस्मरण** जिनका जन्म दिवस/पुण्यतिथि समारोह आयोजित किया जाना प्रस्तावित है, इन विवरणों के साथ कि उक्त संत ने सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने के लिए, असमानता और भेदभाव के उन्मूलन में उन्होंने क्या भूमिका निभाई है (ऐसा विवरण केवल उन्हीं संतो के लिए जरूरी है जिनका नाम योजना के पैरा 2 में उल्लिखित नहीं है या प्रतिष्ठान द्वारा जिन्हें अलग से अनुमोदित और अधिसूचित किया गया है)। समारोह की प्रस्तावित तिथि का उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा।

(ख) आवेदित **अनुदान का मदानुरूप विवरण**

(ग) ऐसे समारोह/गतिविधियों का विवरण जो भूतकाल में उनके द्वारा आयोजित किया गया हो।

(घ) **पिछले 2 वित्तीय वर्षों का वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखे।**

(च) एक **प्रतिज्ञापत्र/प्रतिभूति** कि इस योजना के किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर वे अनुदान राशि को वापस करने के लिए आबद्ध होंगे और भविष्य में प्रतिष्ठान के किसी भी योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुदान हेतु आवेदन करने से वंचित कर दिए जाएंगे।

(छ) इस तरह से पूर्णतया पूरित आवेदन एनजीओ/संगठन/संस्थान द्वारा केवल डाक या कूरियर से भेजा जाएगा जिससे कि **निदेशक, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, 15, जनपथ, नई दिल्ली–110001** के कार्यालय में **समारोह की प्रस्तावित तिथि से कम से कम दो महीने पूर्व** मिल सके। यह सुनिश्ति किया जाना चाहिए कि आवेदन डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान में समय से पहुंचे और ऐसे आवेदनों को भेजने का साक्ष्य अपने पास रखना चाहिए। प्रतिष्ठान ऑनलाइन आवेदन की दिशा में कार्य कर रहा है और अंतिम रूप से पूरा होते ही प्रतिष्ठान की वेबसाइट पर अधिसूचित कर दिया जाएगा जिससे आवेदन ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

(छ) अपूर्ण आवेदन या जिलाधिकारी/जिला समाहर्ता की अनुसंशा के बिना प्रस्तावों पर (एनजीओ के मामले में) विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि ऐसे कमी वाले आवेदक आवश्यक दस्तावेज और जिलाधिकारी/जिला समाहर्ता का अनिवार्य अनुसंशा प्रस्तावित समारोह से एक सप्ताह पहले तक भी जमा कर सकते हैं इसमें असफल रहने पर ऐसे प्रस्तावों को समाप्त मान लिया जाएगा।

(ज) डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से हाथ से जमा किए हुए प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

6. <u>नियम एवं शर्तें</u>

(1) प्रस्ताव को प्रक्रियागत करने से पहले डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान जिलाधिकारी/जिला समाहर्ता के माध्यम से प्रस्ताव की उपयुक्तता को सत्यापित करेंगे।

(2) महान संत का जन्मदिवस/पुण्यतिथि समारोह मनाने के लिए जो कार्यक्रम या गतिविधि आयोजित की जाएगी उसके कुछ उदाहरण निम्न हैं:

(क) एक उपयुक्त सांस्कृतिक कार्यक्रम

(ख) उपयुक्त मुद्दे पर कोई सम्मेलन, विचारगोष्ठी या परिचर्चा मुख्यतः संस्थान/विद्यालयों/ विश्वविद्यालयों इत्यादि के मामले में

- महान संत के जीवन और कार्य पर
- समाजिक न्याय में डॉ. अम्बेडकर और अन्य के योगदान पर

(ग) उक्त महान संत के जीवन और कार्य पर कोई प्रश्नोत्तरी/वाद–विवाद/निबंध प्रतियोगिता आदि, जिन्होंने सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए अपने विद्यार्थियों हेतु योगदान किया। इन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को उक्त संत या डॉ. अम्बेडकर पर किताबें और नकद पुरस्कार दिए जाएंगे।

(3) आवेदक अपने निमंत्रण पत्र, कार्यक्रम के पृष्ठपत्र, बैनर, पोस्टर आदि में इस बात की ताक़ीद करेगा या उल्लेख करेगा कि उक्त कार्यक्रम डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त अनुदान से आयोजित हो रहा है।

(4) अनुदान सहायता राशि का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए किया जाएगा जिसके लिए उसकी स्वीकृति मिली हुई है।

(5) समारोह की प्रक्रियाओं के विस्तृत विवरण के साथ इसके फोटोग्राफ, आमंत्रित व्यक्तियों अतिथियों की सूची और सहायता अनुदान राशि का उपयोग प्रमाणपत्र (जीएफआर–19ए में निर्धारित प्रारूप में) जिसे चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा लेखा परीक्षित किया गया हो, समारोह की तिथि के एक माह के भीतर प्रतिष्ठान में जमा कराएगा।

(6) डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान कार्यक्रम के कार्यक्रम स्थल पर जाकर एनजीओ द्वारा किए जा रहे आयोजन की जांच कर सकता है। इस योजना के किसी भी नियम या शर्तों के उल्लंघन की दशा में आवेदक सहायता अनुदान में प्राप्त राशि को लौटाने के लिए बाध्य होगा और उसे भविष्य में प्रतिष्ठान की किसी भी योजना/कार्यक्रम में अनुदान के लिए आवेदन करने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। ऐसे प्रतिबंधित/निषेधित आवेदकों की सूची प्रतिष्ठान के वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।

(7) सभी संबंधितों द्वारा सामान्य वित्तीय नियमों एवं विनियमों (जीएफआर) का पालन किया जाएगा।

महान संतो ंके जन्मदिवस/पुण्यतिथि समारोह हेतु
डॉ. अम्बेडकर योजना

खर्च की निर्देशात्मक मदों की सूची जिसके लिए इस योजना के अन्तर्गत सहायता अनुदान हेतु दावा किया जा सकता है:

क्र. सं.	खर्च शीर्ष	एनजीओ हेतु अधिकतम अनुमत सीमा	विद्यालयों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों के लिए अधिकतम वित्तीय सीमा
1.	ऑडिटोरियम, शामियाना, लाउड्स्पीकर, लाइटिंग आदि का किराया	60,000	1,50,000
2.	सांस्कृतिक कार्यक्रम	25,000	60,000
3.	मानदेय/वक्ताओं को दैनिक एवं यात्रा खर्च	20,000	50,000
4.	प्रश्नोत्तरी/वाद विवाद/ निबंध प्रतियोगिता (पुरस्कार सहित)	25,000	65,000
5.	जलपान इत्यादि	40,000	1,00,000
6.	निमंत्रण पत्र, लोक सूचना आदि	20,000	50,000
7.	परिवहन	5,000	15,000
8.	अन्य विविध खर्चे	5,000	10,000
कुल योग		**2,00,000**	**5,00,000**

टिप्पणी:

I. खर्च की उपरोक्त मदें और वित्तीय सीमा निर्देशात्मक है। हालांकि, ऐसे समारोहों के आयोजन में संगठनों/विश्वविद्यालयों/ संस्थानों द्वारा क्षेत्रीय/सांस्कृतिक विशिष्टता आधारित नवोन्मेषी उपागम की अपेक्षा की जाती है। योजना के अन्तर्गत गठित समिति प्रस्तावों की जांच गुणवत्ता के आधार पर करेगी और यदि पर्याप्त औचित्य और विवरण प्रस्तुत किया जाए तो उच्चतम वित्तीय सीमा को ध्यान में रखते हुए और उसके अधीन उपरोक्त सूची में शामिल न की गईं खर्च की मदों पर भी विचार किया जाएगा।

II. यदि कोई प्रस्ताव ऐसे आयोजन या समारोह के बाद डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान में प्रतिपूर्ति अनुदान के दावे हेतु प्राप्त होता है या कोई प्रस्ताव प्रतिष्ठान में समारोह के लिए प्रस्तावित तिथि से पूर्व दो महीने के अन्दर नहीं प्राप्त होता है या आवेदन प्रस्ताव में कमियों को समारोह की प्रस्तावित तिथि से कम से कम एक सप्ताह पूर्व तक दुरुस्त नहीं कर दिया जाता है, जिसमें जिलाधिकारी/जिला समाहर्ता की अनुशंसा भी शामिल है (जहां लागू हो) तो ऐसे प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें समाप्त मान लिया जाएगा।

संलग्नक–1

आवेदन प्रपत्र

महान संतो के जन्मदिवस/पुण्यतिथि समारोह हेतु डॉ. अम्बेडकर योजना

1. मान्यता प्राप्त विद्यालय/विश्वविद्यालय/संस्थान/एनजीओ का नाम, पता, टेलीफोन नं., फैक्स नं. और ईमेल..
....
....
2. पंजीकरण संख्या (एनजीओ हेतु): कृपया नीति आयोग पोर्टल के साथ पंजीकरण का साक्ष्य संलग्न करें। मान्यताप्राप्त निजी संस्थान के मामले में कृपया सरकार द्वारा मान्यता के साक्ष्य की प्रतिलिपि संलग्न करें...
3. एनजीओ/विद्यालय के अधिकृत व्यक्तिः नाम, टेली नं., पैन कार्ड नं. ....
....
....
4. महान संत का नाम जिनका जन्म दिवस का आयोजन प्रस्तावित है ....
5. समारोह की प्रस्तावित तिथि (अनिवार्य) ....
6. पूर्व में यही/ऐसा कोई कार्यक्रम आयोजित करने का विवरण ....
....
7. आयोजित होने वाले प्रस्तावित कार्यक्रमों की प्रकृति (संदर्भ पैरा 6(1) योजना का)...................................
....
8. प्रस्ताव ....द्वारा अनुशंसित है।
9. **संलग्नकों की सूचीः**

क. उपयुक्त रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र

ख. एनजीओ के नीति आयोग के पोर्टल पर पंजीकरण के साक्ष्य की प्रतिलिपि

ग. महान संत पर एक विस्तृत लेख जिनका जन्म दिवस/पुण्यतिथि का समारोह प्रस्तावित है। इन विवरणों के साथ कि संत ने सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने, असमानता और भेदभाव के उन्मूलन में क्या भूमिका निभाई। (यह केवल उन संतो के बारे में होगा जिनका नाम योजना के पैरा 2 में उल्लिखित नहीं है या जिनका नाम अलग से प्रतिष्ठान द्वारा अनुमोदित करके अधिसूचित कर दिया गया है।)

घ. समारोहों के विषय पर एक आलेख।

च. पिछले दो वर्षों का वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखे।

छ. संस्था के बहिर्नियमों, नियम और विनियमों की प्रतिलिपि।

ज. मदों के अनुरूप आंकलित खर्च का बंटवारा (जिसमें आंकलन का आधार भी शामिल होगा)

झ. आमंत्रितों/भागीदारों की अनुमानित संख्या जिसे वर्गानुरूप अलग किया गया होगा।

ट. जिलाधिकारी/जिला समाहर्ता या अधिकृत अधिकारी की अनुशंसा। (अधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होने पर इस आशय का कोई पत्र या साक्ष्य संलग्न करें।)

अधिकृत हस्ताक्षरी का हस्ताक्षर,
कार्यालय मुहर सहित

दिनांकः
स्थानः

महान संतो के जन्मदिवस/पुण्यतिथि समारोह हेतु डॉ. अम्बेडकर योजना के अन्तर्गत सहायता अनुदान हेतु मान्यता प्राप्त और पंजीकृत एनजीओ के प्रस्तावों की अनुशंसा का प्रारूप प्रतिदर्श

सेवा में,

निदेशक
डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान,
पश्चिम ब्लॉक-I, विंग संख्या VII, भूतल, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भवन, आर.के. पुरम,
नई दिल्ली - 110066
ईमेलः greatsaintsdaf@gmail.com dir.daf-msje@gov.in

विषयः महान संतों के जन्मदिवस/पुण्यतिथि समारोह हेतु डॉ. अम्बेडकर योजना।

महोदय,

निम्नलिखित एनजीओज जो नीति आयोग के पोर्टल पर पंजीकृत हैं, ने महान संतो के जन्मदिवस/पुण्यतिथि समारोहों हेतु डॉ. अम्बेडकर योजना के अन्तर्गत सहायता अनुदान के लिए आवेदन जमा किया हैः
(1)
(2)
उपरोक्त संगठनों ने अपने आवेदन के साथ निम्नलिखित कागज़ात संलग्न किया हैः

क. उपयुक्त रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र
ख. एनजीओ के नीति आयोग के पोर्टल पर पंजीकरण के साक्ष्य की प्रतिलिपि
ग. संस्था के बहिर्नियमों, नियम और विनियमों की प्रतिलिपि।
घ. महान संत पर एक विस्तृत लेख जिनका जन्म दिवस/पुण्यतिथि का समारोह प्रस्तावित है और समारोह की प्रस्तावित तिथि।
च. वार्षिक रिपोर्ट
छ. पिछले दो वर्षों के लेखा परीक्षित लेखे।
ज. मदों के अनुरूप आंकलित खर्च का बंटवारा
झ. आमंत्रितों/भागीदारों की अनुमानित संख्या
ट. इस आशय का एक प्रतिज्ञापत्र/प्रतिभूति कि इस योजना के किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर वे अनुदान राशि को वापस करने के लिए आबद्ध होंगे और भविष्य में प्रतिष्ठान के किसी भी योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुदान हेतु आवेदन करने से वंचित कर दिए जाएंगे।

उपरोक्त सूचनाओं के आधार पर एनजीओ और उनके प्रस्तावों की उपयुक्तता को सत्यापित किया गया और इस मामले को डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान द्वारा विचार हेतु अनुशंसित किया जा रहा है। • यह प्रस्ताव जिलाधिकारी / जिला समाहर्ता द्वारा अनुमोदित है। (• उन मामलों के लिए जहां हस्ताक्षर प्राधिकारी डीएम/डीसी के अतिरिक्त कोई और है)

आपका आज्ञाकारी,

डीएम/डीसी या उनके प्राधिकृत हस्ताक्षरी
मुहरः
नामः
दूरभाषः
फैक्सः
ईमेलः